गृहिणी सहचरी व पत्नी रूप में समाज का दृष्टिकोण

Sanjeev Kumar, Assistant Professor of History
Govt. College, Chhachhrauli (Yamuna Nagar)

ऋग्वेद में ''जायेदस्तं'' शब्द से ज्ञात होता है कि स्त्री की गृह है । जनि, जया और पत्नी इन तीन शब्दों का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है । गृहिणी का कर्त्तव्य है कि वह न केवल पति के लिए मंगल हो अपितु समस्त परिवार के लिए मंगलमय होनी चाहिए । वैदिक युग से ही वह घर की आत्मा और प्राण समझी जाती थी । ऋग्वेद में उल्लेख है कि गृहिणी सुसराल में आकर सास–ससुर, ननद, देवर और सदस्यों की गृहस्वामिनी होती है, छोटे हो या बड़े सभी के हित की चिन्ता करना नारी का ही कर्त्तव्य है । यज्ञ में वह पति के साथ रहती थी । समय पर वह स्वयं भी यज्ञ सम्पन्न करती थी । पति के साथ मिलकर वह सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को भी सम्पादित करती थी । वे सामूहिक यज्ञों एवं युद्धों में भी भाग लेती थीं ।

गृहिणी के कर्त्तव्यों का भी उल्लेख वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है । गृहिणी को संयम का जीवन व्यतीत करना चाहिए और शास्त्र चर्चाओं में भाग लेना चाहिए । इन्द्र को सम्बोधित करते हुए ऋषि कहता है कि इन्द्र! तुमने सोमपान किया है, जो आनन्द का भण्डार है । ऋग्वेद में सूर्या–सावित्री के विवाह के समय स्त्री के गृहिणीपद का बड़े ही सुन्दर शब्दों में वर्णन हुआ है । नवविवाहिता वधू को कहा गया है कि ''अपने घर में प्रवेश करो, गृहपत्नी बनकर सब पर शासन करों'' अथर्ववेद में उल्लेख है कि पत्नी सुसराल में जाकर पति की सेवा करे, सास और ससुर को सुख देने वाली बने तथा पति के लिए हितकर हो । पतिव्रता स्त्री को पति के लिए वरदान माना गया है क्योंकि इनका पति कभी भी रोगादि से ग्रस्त होकर नहीं मरता । अथर्ववेद में उसे गृह में खिली हुई कली के समान माना गया है । वह रथ की धुरा के समान है । उसे 'अधोरचक्षु कहकर बुरी नजर न रखने वाली भी कहा गया है । गृहिणी के बिना घर की प्रतिष्ठा असम्भव है । हे गृहिणी । तुम व्यवस्थाकारिणी और नियम का पालन करने वाली बनो क्योंकि तुम्हारे बिना घर निराश्रय है ।

गृहिणी के घरेलू कार्यो की तरफ प्रकाश डालते हुए अथर्ववेद में वर्णन है कि हे वधू! घड़ा उठा और कार्य कर । भावार्थ यह है कि पानी को भरने का, घर के सदस्यों और पशुओं को पानी से नहलाने का, गेहूँ, जौ, चावल आदि अन्नों की कुटाई–पिसाई का कार्य भी वह करती थी । वह सूत कातती थी और वस्त्रों की बुनाई भी करती थी । अतः उनका सम्मान करना अति अनिवार्य है । जिन घरों में उनका आदर नहीं होता, वे घर नष्ट हो जाते हैं । यजुर्वेद में उनके लिए 'अध्न्ये' शब्द का प्रयोग करके उन्हें तिरस्कार के

अयोग्य कहा गया है । वैदिक इण्डैक्स के लेखकों ने 'दम्पत्ति' शब्द को पत्नी की सर्वोच्च स्थिति का सूचक माना है । अथर्ववेद में वधू को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि वह सर्वत्र परमात्मा का अस्तित्व समझे, परिवार को देवपुरी समझे तथा सदा परिवार के हित में संलग्न रहे । जिससे यह प्रतीत होता है कि पत्नी पतिगृह के लिए श्री है । पत्नी का यह कर्त्तव्य है कि वह आसन पर बैठकर प्रतिदिन यज्ञ करे । 'सुबुधा बुध्यमाना' के द्वारा भी यह दर्शाया गया है कि जहां सुबोध होगा, वहां प्रबद्धता होगी और कर्त्तव्यों का ज्ञान होगा । अतः यह परम आवश्यक है कि पत्नी विदुषी और ज्ञानवती होनी चाहिए ।

ब्राह्मण–ग्रंथो से भी विदित होता है कि पत्नी के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण होता है । दोनों की संयुक्त स्थिति ही पूर्ण होती है । शतपथ ब्राह्मण में सुकन्या नामक कन्या अपने वृद्ध पति च्यवन ऋषि के साथ जीवन भर रहने के लिए वचनबद्ध थी । पत्नी ही परम मित्र है । शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि पत्नी जाया इसीलिए है क्योंकि वह पति के साथ यज्ञ करती है । बिना पत्नी के वह यज्ञ के अयोग्य कहा गया है । वे दोनों हल बैलों की तरह यज्ञ को सम्पन्न करें । वे उपनयन संस्कार के पश्चात् ही यज्ञ सम्पादित कर सकती थी ।

जहाँ एक तरफ उन्हें याज्ञिक क्रियाओं को सम्पन्न करने का अधिकार था तो दूसरी ओर उनके धार्मिक अधिकारों में भी कटौती कर दी गई थी । यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में धार्मिक अधिकारों में पूर्ण रूप से कटौती नहीं की गई थी। शाँखायन ब्राह्मण में उल्लेख है कि उन्हें याज्ञिक अधिकार नहीं है तथा उनका स्थान यज्ञ का कार्य पहले पत्नी सम्पादित करती थी अब उसे पुरोहित ने प्रारम्भ कर दिया था । जो सोमयज्ञ पत्नी करती थी वह पुरोहित करने लगे । ऐतरेय ब्राह्मण में वह पत्नी सर्वोतम मानी गई जो कि अपने पति को पलटकर उत्तर नहीं देती थी ।

उपनिषदों में भी पत्नी के धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों में परिवर्तन की झलक मिलती है । अब पत्नी के लिए भार्या शब्द का प्रयोग होने लगा जो कि पत्नी की अवनति का प्रतीक था । याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों का उल्लेख इसी रूप में प्राप्त होता है । बृहदारण्यक उपनिषद् में एक स्थान पर पत्नी को छड़ी से पीटने का उल्लेख है जो कि अनुशासनार्थ नहीं है । जो पत्नी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी वह घृणा की पात्र समझी जाती थी । उसे बलपूर्वक आज्ञा मानने को भी बाध्य किया जा सकता था । साथ ही उपनिषद्ों में उसकी अच्छी दशा का भी बोध होता है । बहुपत्नित्व होने पर भी किसी भी प्रकार की द्वेष भावना प्रतीत नहीं होती । मैत्रेयी और कात्यायनी विभिन्न रूची की थी । एक ब्रह्मविद्या के प्रति आसक्त थी तो दूसरी भौतिक सुखेषणी थी फिर भी उन दोनों में कोई भी मतभेद नहीं था । जिससे उनकी साहचर्य मूलक भावना का बोध होता है । यह भी विदित होता है कि जब पत्नी गर्भवती हो जाती है तो उसे गृह कार्यों से दूर रखा जाता है । ऐसी स्थिति में उसके लिए कांसे के बर्तन मे जल ग्रहण करना और शूद्र

पुरूष या नारी को छूने पर प्रतिबन्ध था । तीन रात्रि के उपरान्त ही उसके लिए स्नान का विधान था । तत्पश्चात् उसे धान कूटने और चावल साफ करने का कार्य करना पड़ता था ।

महाकाव्य से भी बोध होता है कि पत्नी सबसे पहले सास–ससुर के चरण स्पर्श करती थी और उनको प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया करती थी । यह भी ज्ञात होता है कि सास अपनी नववधू को समस्त रीति–रिवाज सिखाती थी । पत्नी का अपने पति के मन पर पूर्ण नियन्त्रण होता था । वाल्मीकि रामायण से विदित होता है कि कैकेयी का अपने पति दशरथ पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण था । सीता ने राम को कंचन–मृग को पकड़ने के लिए बाध्य किया था । वे पुरुषों को शुभ कार्य और युद्ध के लिए भी प्रेरित करती थी । यज्ञ के समय भी वह दोनों मिलकर यज्ञ करते थे । महाभारत के शान्तिपर्व में उल्लेख है कि पत्नी की तुलना में न भाई होता है और न ही धर्म में उसके समान कोई सहायक होता है । महाभारत में द्रोपदी के गृह–कार्य बाहर से आये हुए पति का स्वागत, सबको समय पर भोजन, पति का कोष रक्षण तथा सास की सेवा करना है । महाकाव्य में पत्नी के पतन की स्थिति का भी बोध होता है । बाल्मीकि रामायण में राम का कथन है कि वह पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भरत को राज्य तो क्या अपनी पत्नी को ीाी दे सकते है । सीता ने कहा कि शैलूष ने अपनी पत्नियों को दूसरे को दे दिया था ।

बाल्मीकि रामायण से यह भी ज्ञात होता है कि रावण ने बालि से मित्रता के समय स्त्रियों को भी दूसरे की निजि सम्पत्ति कहा था । राम का यह कथन भी इंगित करता है कि पत्नी तो ओर भी मिल सकती है, परन्तु भाई को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है । भरत की माता कैकेयी और अहल्या को क्रमशः उपेक्षा, स्वार्थ और व्याभिचार के कारण त्याग दिया गया था । परन्तु उन्हें पुनः स्वीकार भी कर लिया गया था । बाल्मीकि रामायण में विदित है कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है । ऐसी स्थिति में अपने कुल को महान बताते हुए मैं तुम्हें फिर कैसे ग्रहण कर सकता हूँ ।

मर्यादापुरूषोतम् राम ने लोकापवाद के भय से सती, साध्वी और पतिपरायण नारी को गर्भावस्था में परित्याग करके चाहे राजमर्यादा निभायी हो, किन्तु उनके इस कार्य से स्त्री के सम्मान को गहरी ठेस पहुँची । महाभारत से भी विदित होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी द्रोपदी को जुए में दाव पर लगा देते हैं । जिससे प्रतीत होता है कि पत्नी पति की निजि सम्पत्ति बन गई थी । महाभारत के वनपर्व में द्रोपदी ने भीम के बल और अर्जुन के गाण्डीव को धिक्कारा है । जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वह नरक को ग्रहण करने वाला होता है । दुर्योधन ने भी उन्हें षण्ड कहकर सम्बोधित किया है । विदूर भी पति को यह परामर्श देता हैं कि वह अपनी पत्नी से प्रेम से वार्ता करें, परन्तु वह कभी भी उनके अधीन न रहे ।

जो व्यक्ति पत्नी के अधीन रहता था उन्हें स्त्रीजित और भार्यावश्य कहा जाता था । उन्हें उस्तरे की तेजधार, विष, आग और मायावी भी कहा गया है । उनकी उत्पत्ति भी तब हुई जब पुरुष को धर्मात्मा होने के कारण स्वर्ग जाने की आंशका हुई । धर्मराज युधिष्ठिर का भी कथन है कि उनकी कभी भी तृप्ति नहीं होती तथा वे प्रायः नये–नये पुरुषों को ढूँढ़ती रहती हैं । भीष्म का भी मत है कि जब ईश्वर ही उनकी रक्षा नहीं कर सकता तो मनुष्य फिर उनकी रक्षा कैसे कर सकता है । महाभारत में उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति की सौ जिह्वा भी हों तो भी वह स्त्रियों के दोष को पूर्ण कहे बिना मर जायेगा । यह भी उल्लेख है कि उन्हें साँत्वना आदि दे कर सुरक्षित रखना चाहिए परन्तु उनमें श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए और न ही गोपनीय बात कहनी चाहिए ।

साथ ही महाभारत में यह भी उल्लेख है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं । विदुर ने भी कहा है कि पति को पत्नी के प्रति मधुर वाणी चाहिए। ऋषियों में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वे स्त्रियों के बिना संतान को उत्पन्न कर सके । पति को कभी भी पत्नी से विवाद नहीं करना चाहिए । स्त्रीवध, ब्रह्महत्या और गौ हत्या की तरह है । जिसका प्रायश्चित करना भी असंभव है ।

बौद्ध एवं जैन साहित्य से भी ज्ञात होता है कि पत्नी की दशा पतन की ओर अग्रसर हो रही थी । बुद्ध का कथन भी है कि स्त्रियाँ मैथुन, बच्चे पैदा करना और बनाव–श्रृगांर आदि से तृप्त होकर मरती हैं । थेरी गाथा से विदित होता है कि गृह कार्यों में निपुण होते हुए भी पति उसके प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता था । अल्तेकर का मत है कि मासिक धर्म के कारण उन्हें अपवित्र माना जाने लगा था ।

जैन साहित्य से ज्ञात होता है अब उन्हें पिटा जाने लगा था । जिसको वे चुपचाप सहन कर लेती थी । लंगड़ी, लूली और बूची जैसी सौ वर्ष की वृद्धा से भी भिक्षु को दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया है । अंगुत्तर निकाय में उन्हें वानर की तरह चंचल, दृष्ट, अश्व की तरह दुर्दम्य, साधुओं की वैरिणी, कलह करने वाली तथा पुरुषों का वध करने वाली कहा गया है । उत्तराध्ययन टीका से यह विदित होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति हिमालय की विशालता, सागर जल और गंगा के बालू को जान सकता है, परन्तु वह कभी स्त्री के मन को समझ नहीं सकता है । उन्हें मैथुन मूलक कहा गया है क्योंकि सीता, रूक्मिणी, द्रोपदी, पद्मावती, तारा, सुभद्रा, किन्नरी, सुरूपा और विद्युन्मतिम आदि के लिए संगाम हुए । स्त्रियों के विषय में जो निन्दा सूचक शब्द प्रयोग किये गये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि यह केवल स्त्रियों के सौन्दर्य एवं आकर्षण से साधुओं और भिक्षुओं को दूर रहने के लिए किया गया है । यह साधारण वर्ग में माननीय नहीं है ।

बुद्ध ने जब स्त्रियों को अपने धम्म में प्रवेश की अनुमति दे दी तो गृह–पत्नी को पुनः धार्मिक अधिकार प्राप्त होने लगे । बुद्ध ने सदगुणों से सम्पनन पत्नी को श्रेष्ठ बताया है । बुद्ध ने कहा है कि जब नारी को आदर की दृष्टि से देखा जाएगा तब ही गण फलेगा नहीं तो वह नष्ट हो जायेगा । उन्हें चक्रवती

के चौदह रत्नों में भी गिना गया है । जल, अग्नि, चोर, दुष्काल का संकट होने पर सर्वप्रथम स्त्री की रक्षा करना अनिवार्य है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

लता सिंहल– भारतीय संस्कृति में नारी, नई दिल्ली 1991

राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी– उपनिषद कालीन समाज एवं संस्कृति, दिल्ली 1983

शन्ति कुमार नानू राम व्यास– रामायण कालीन समाज

सुखमय भट्टा चार्य– महाभारत कालीन समाज

जगदीश चन्द भट्ट– रामायण कालन समाज एवं संस्कृति, दिल्ली 1984

वनमाला भवालकर– महाभारत में नारी, मध्य प्रदेश

विजय बहादुर राव– उत्तरवैदिक कालीन समाज

धीरेन्द्र कुमार सिंह– ब्राह्मण–ग्रंथों में प्रतिबिम्बित समाज

मदन मोहन सिंह– बुद्ध कालीन समाज और धर्म–